

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

राकेश

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 349/2015

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुकम
की तागील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

09.07.215

वकील वादी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 735 कुल किता 01 कुल रकबा 34-07 बीघा में कैलाश पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं। वास्तविक नाम राकेश पुत्र मोहनलाल हैं। सबूत में वादी 21 ने पहचान-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां पेश की हैं। वादी प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया, बाद जांच, तस्दीक कर सा.मि. किया गया। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 735 कुल किता 01 कुल रकबा 34-07 बीघा में वादी का नाम कैलाश पुत्र मोहनलाल दर्ज है जबकि सबूत के आधार पर राकेश पुत्र मोहनलाल बखूबी साबित हैं। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र, राशनकार्ड की छाया प्रतियां पेश की हैं। कैलाश पुत्र मोहनलाल के स्थान पर राकेश पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 735 कुल किता 01 कुल रकबा 34-07 बीघा भूमि में कैलाश पुत्र मोहनलाल के स्थान पर राकेश पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरागद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सांगिल मिसल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।


SDO

डिक्री बमुकदमें इबतदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलारा :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

राकेश पुत्र मोहनलाल

जाति माली

निवासी-जैतारण

तहसील-जैतारण, जिला-पाली
(राज.)

तहसीलदार

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 349/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि गौजा-जैतारण में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 735 कुल किता 01 कुल रकबा 34-07 बीघा भूमि में कैलाश पुत्र मोहनलाल के स्थान पर राकेश पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरागद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें गय रूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

परिबत मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल रोवा केन्द्र चण्डिकाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।